

11/05/19

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000

15 MAY 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR

BF 389970



RAZI AKHTAR SIDDIQUI
Advocate
REG NO-4335/91

RAZI AKHTAR SIDDIQUI
Advocate
REG No-4335/91

किरायानामा/लीज (अवधि 20 वर्ष 11 माह)

स्थाप्य शुल्क अंकन : 1,000/- रुपये।

मासिक किराया : 500/- रुपये।

वार्षिक किराया : 8,000/- रुपये।

हम कि भी स्वीकृत शुल्क भी मुतायम सिंह यादव शिक्षा प्रसार समिति (रजिस्टर्ड अन्तर्गत सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1980 ए. रजिस्ट्रेशन नम्बर 30095-एन, वर्ष 1995-1998), पी०एम०-22, पोस्ट-बाई, आई/ राम मनोहर लोहिया नगर, मेरठ द्वारा अध्वस भी शारिक मोहम्मद खान पुत्र भी मुतायम मोहम्मद निवासी 331/5, कोठी अतामरा, गहर मेरठ, पैन एएलएक्सपीके0835पी, मोबाईल नम्बर: 9897383844 प्रथम पक्ष (मुकद्दत स्वामी)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 291495

- 3 -

की है तथा प्रथम पक्ष उक्त मूख्यत्व की द्वितीय पक्ष को देने के लिए सहमत हो गये है तथा प्रथम पक्ष ने सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया हाहा मेरठ ब्रिगड जिनके पक्ष में उक्त सम्बन्धित प्रथम पक्ष द्वारा लिखे जाण की प्रतिभूत स्वरूप काक है, से इस किरायेदारी के लिखे उचित अनुमति ले ली है तथा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को उक्त मूख्यत्व की 800/- (आठ सौ) रुपये प्रति माह यानि 8,000/- रुपये प्रति वर्ष की दर से किराये पर दे दिया है। अतः पक्षकारान निम्न शर्ती व नियमों के पालन होती है :-

1. यह कि उक्त मूख्यत्व को सम्बन्ध में किरायेदारी की अवधि दिनांक 01-08-2018 से 28 वर्ष 11 माह तक निरन्तर जारी रहेगी।
2. यह कि उक्त मिलियत किराया द्वितीय पक्ष इन वर्ष के प्रथम माह में मगद या बैंक द्वारा प्रथम पक्ष को अदा कर दिया करेगे।
3. यह कि द्वितीय पक्ष ने एक वर्ष का किराया अंकन 8,000/- रुपये प्रथम पक्ष को दे दिया है जो किरायेदारी को अन्त में किराये में समायाजित हो जायेगा।







भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 467699

:: 6 ::

द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

10. यह कि उक्त भूखण्ड को प्रथम पक्ष निश्चित अवधि से पूर्व खाली करना चाहें तो द्वितीय पक्ष को एक वर्ष पूर्व सूचना देकर खाली कर सकेंगे और अवधि समाप्त होने पर यह किनायेदारों स्वतः ही सम्पत्त ही जायेगी।
11. यह कि पक्षकारण तथा उनके उत्तराधिकारीगण उपरोक्त समस्त शर्तों का नियम अनुसार पालन करते रहेंगे। अतः यह किरायानामा लिख दिख गया ताकि प्रमाणित एवं उपयोगी हो। इति।।

मान व चतुर्गोचर उक्त भूखण्ड:-

पूरुब : 80.00 मीटर उत्पश्चात् प्राधिकरण की सम्पत्ति

पश्चिम : 80.00 मीटर उत्पश्चात् सहक 12.00 मीटर चौड़ी।









राज्य UTTIAR PRADESH

BV 467700


:: 7 ::

उत्तर : 80.00 मीटर तत्परश्चात् सड़क 9.00 मीटर चौड़ी ।
दक्षिण : 60.00 मीटर तत्परश्चात् प्राधिकरण की सम्पत्ति ।

हो प्रथम पक्ष





गवाह-1


श्री राशिर पुत्र इकबाल अहमद
निवासी 831, सेक्टर-13,
शास्त्री नगर मेरठ ।


हो द्वितीय पक्ष




गवाह-2


श्री आरिफ पुत्र रियाजुद्दीन
निवासी घोसीपुर, मेरठ ।

दिनांक : 18-05-2019 ई॥ परमविद्या रजिस्ट्रार सहाय्यारी एडवोकेट, मेरठ ।


RAJENDRA SUBHANS
Advocate
Reg No -4335/91

अनुप्राणित

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


EV 291494

:: 2 ::

एवम्

श्री 0 एमपी0000 अब्दुल कलाम कीर्तिर ऑफ एज्युकेशन, मुख्यमंत्री संस्था पी0एस0-22, पी0के0-आई, राम मन्नेहर लोहियानगर आवासीय योजना, मेरठ द्वारा अग्रज श्री सारिक मोहम्मद खान पुत्र श्री मुलाम मोहम्मद निवासी 331/5, झोठी अलानर, शहर मेरठ, पैन एएलएलपीके00000पी, मोबाईल नम्बर 9897363944—द्वितीय पक्ष (किरायेदार)

जो कि एक सैविक मुख्यमंत्री संस्था पी0एस0-22, सेवकन 3000 (तीन हजार) वर्ग मीटर, पी0के0-आई, स्थित श्री 0 राम मन्नेहर लोहियानगर आवासीय योजना, मेरठ प्रथम पक्ष को द्वारा पट्टा विलेख दिनांक 14-06-2016 ई0 को केरल विकास प्राधिकरण मेरठ को 90 वर्ष के लिये आवंटित हुआ है जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 जिल्द 8328 के पृष्ठ 209/228 पर क्रमिक 5890/18 पर दिनांक 13-06-2016 ई0 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार द्वितीय मेरठ में हुई। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से उक्त मुख्यमंत्री को किराये पर लेने की इच्छा व्यक्त





= 5 =

6. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड पर बिल्डिंग का निर्माण अपनी स्वयं की लागत व खर्च से करेगा, जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।
7. यह कि उक्त भूखण्ड में अपनी आवश्यकतानुसार द्वितीय पक्ष बिजली का कनेक्शन लेने, जिनके बिल के अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
8. यह कि यदि द्वितीय पक्ष को शैक्षिक बिल्डिंग से सम्बन्धित अनुमति किसी भी विभाग व कार्यालय से लेनी होगी तो वह द्वितीय पक्ष स्वयं लेने अथवा इससे सम्बन्धित कोई फीस या टैक्स लगता है तो उसके अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी, यदि द्वितीय पक्ष को किसी सहमति / सहायता की आवश्यकता होती है तो प्रथम पक्ष को अपनी सहमति / सहायता देने में कोई आपत्ति न होगी।
9. यह कि उक्त भूखण्ड का किराया द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को समय पर अदा कर देगा अन्यथा समय पर अदा न करने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से अपनी उक्त भूखण्ड खाली करा ले, जिसमें









उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 291496

== 4 ==

4. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त मूखण्ड में एजुकेशन के लिये बिल्डिंग का निर्माण करेगा और अपने पक्ष से सम्बन्धित कोई कार्य करने के लिये बाधक नहीं रहेगा, इसके अलावा कोई अन्य गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा। किसी अन्य को किकरी किन्नायेदार नहीं रखेगा। यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करेगा तो मय शिकमी किन्नायेदार सहित प्रथम पक्ष उक्त मूखण्ड को द्वितीय पक्ष से खाली करा लेगा।
5. यह कि उक्त सम्पत्ति अर्थात् मूखण्ड एवं उस पर बने कोई भी निर्माण आदि चाहे वह प्रथम पक्ष ने बनवाया हो अथवा द्वितीय पक्ष ने अपने स्वयं के खेत से निर्मित किया हो, पर प्रथम पक्ष हमेशा सेंट्रल बैंक और इण्डिया, मेरा कॉन्ट शाखा जिसके पक्ष में उक्त सम्पत्ति बंधक है तथा भविष्य में चाहे कभी भी उक्त बैंक अपने आज की वस्तुनी हेतु कोई कार्यवाही उक्त स सम्पत्ति के विरुद्ध करता है तो प्रथम पक्ष एवं/अथवा द्वितीय पक्ष ऐसी किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध कोई भी आपत्ति आदि नहीं करेगा।

2453/14

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

FIFTY
RUPEES

50

50



उत्तर प्रदेश ।

RAZI AKHTAR SURINDRAN

RAZI AKHTAR SURINDRAN

BN 499341

संख्या No. 4335/91

किसानानामा/लीज (अधिति 1 माह)

स्टाम्प शुल्क अंशक : 100/- रुपये।

मासिक किराया : 500/- रुपये।

वार्षिक किराया : 6,000/- रुपये।

हम कि श्री रफीकूल मुल्क श्री मुलायम सिंह यादव शिक्षा प्रसार समिति (रजिस्टर्ड अन्तर्गत सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1880 ए. रजिस्ट्रेशन नम्बर 30005-एम. सन् 1995-1999), पी०एच०-22, पी०के०-आई, डी० नाम मनोहर लोहिया नगर, बेरठ द्वारा अखिल श्री शारिक मोहम्मद खान पुत्र श्री मुलाम मोहम्मद निवासी 331/5, कोठी अस्तानस, शहर बेरठ, पैन एएलएकलपीके०६६६६पी, मोबाईल नम्बर 9897383944 प्रथम पक्ष (मुख्य स्वामी)

एवम्

श्री ए०पी०जे० अब्दुल कलाम कॉलज ऑफ एजुकेशन, मुख्य स्वामी पी०एच०-22, पी०के०-आई, राम मनोहर लोहियानगर आवासीय योजना, बेरठ द्वारा अखिल श्री शारिक मोहम्मद खान पुत्र श्री मुलाम मोहम्मद निवासी 331/5, कोठी अस्तानस, शहर बेरठ, पैन एएलएकलपीके०६६६६पी, मोबाईल नम्बर 9897383944 द्वितीय पक्ष (किरायादार)



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

:: 6 ::

82AD 876010

हो प्रथम पुत्र

गवाह-1



Rashid

श्री 0 राशिद पुत्र हुकूमत अहमद
निवासी 631, सीक्टर-13,
सासवी नगर मेरठ।

हो द्वितीय पुत्र

गवाह-2



Arif

श्री 0 अरिफ पुत्र रियाजुद्दीन
निवासी मोलीपुर, मेरठ।

दिनांक : 16-09-2019 ई॥ गलफिया एजीअख्तर सऊजवाही एडवोकेट, मेरठ।

RAJ KHATAN SUBZWARI
Advocate
Reg No-4335/91

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

॥ २ ॥

8240 876006

जो कि एक शैक्षिक भूखण्ड संख्या पीएस-22 क्षेत्रफल 3000 (तीन हजार) वर्ग मीटर, पोस्ट-आई, स्थित जी० राम मनोहर लोहिया नगर आकाशवाणी योजना, मेरठ प्रथम प्ला की द्वारा पट्टा विलेख दिनांक 14-06-2016 ई० को मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ से 90 वर्ष के लिये आवंटित हुआ है जिसकी रजिस्ट्री नही नम्बर 1 दिनांक 02/08/2018 के दृष्ट 208/228 पर क्रमांक 8880/18 पर दिनांक 15-08-2016 ई० को न्यायलय सब रजिस्ट्रार द्वितीय मेरठ में हुई। द्वितीय प्ला ने प्रथम प्ला से उक्त भूखण्ड को किराये पर लेने की इच्छा व्यक्त की है तथा प्रथम प्ला उक्त भूखण्ड को द्वितीय प्ला को देने के लिए सहमत हो गये है तथा प्रथम प्ला ने सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मेरठ केंद्र दिनांक प्ला में रहते संपत्ति प्रथम प्ला द्वारा लिये ऋण की प्रतिभूत स्वरूप बंधक है, जो इस किरायेदारी के लिये उचित अनुमति ले ली है तथा प्रथम प्ला ने द्वितीय प्ला को उक्त भूखण्ड को 500/- (पांच सौ) रुपये प्रति माह वाणि 6,000/- रुपये प्रति वर्ष की दर से किराये पर दे दिया है। अतः पक्षकारान विम्वन शर्ता व नियमों के पारबन्ध होते हैं :-

1. यह कि उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में किरायेदारी की अवधि दिनांक 01-08-2019 से जारी होगी।





भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

:: 5 ::

8240 876009

जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी, यदि द्वितीय पक्ष को किसी सहमति/सहायता की आवश्यकता होती है तो प्रथम पक्ष को अपनी सहमति/सहायता देने में कोई आपत्ति न होगी।

10. यह कि उक्त भूखण्ड का किचया द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को सन्मय पर अदा कर देंगे अन्यथा समय पर अदा न करने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से अपनी उक्त भूखण्ड खाली करा लें, जिसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
11. यह कि पक्षकारान तथा उनके उत्तराधिकारीगण उपरोक्त समस्त शर्तों का निष्ठा अनुसार पालन करते रहेंगे। अतः यह किचयानामा लिख दिना मद्य ताकि प्रमाणित एवं उपयोगी हो। इति।।

कार व चतुर्सीमाएं उक्त भूखण्ड:-

- | | |
|----------|--|
| पूरुब : | 50.00 मीटर तत्पश्चात् प्राधिकरण की सम्पत्ति |
| पश्चिम : | 50.00 मीटर तत्पश्चात् सड़क 12.00 मीटर चौड़ी। |
| उत्तर : | 50.00 मीटर तत्पश्चात् सड़क 8.00 मीटर चौड़ी। |
| दक्षिण : | 50.00 मीटर तत्पश्चात् प्राधिकरण की सम्पत्ति। |

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

:: 3 ::

82AD 876007

2. यह कि उक्त निशिका किराया द्वितीय पक्ष हर नगद या बैंक द्वारा प्रथम पक्ष को अदा कर दिया करेंगे।
3. यह कि द्वितीय पक्ष ने एक माह का किराया अंकन 500/- रुपये प्रथम पक्ष को दे दिया है जो किरायेदारी के अन्त में किराये में समायोजित हो जायेगा।
4. यह कि दिनांक 18-05-2019 को एक लीज 29 वर्ष 11 माह जिसकी बही नम्बर 1 जिल्द 8747 के पृष्ठ 19 से 32 पर क्रमांक 4584 पर दिनांक 18-05-2019 ई० को कार्यालय सब रजिस्ट्रार द्वितीय गेरुठ में रजिस्ट्री की गयी थी जो इस एक माह की लीज की पार्ट रहेगी, जो दोनों लीज को मिलाकर 30 वर्ष की लीज हो जायेगी।
5. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड में एजुकेशन के लिये बिल्डिंग का निर्माण करेगे और अपने पैसे से सम्बन्धित कोई कार्य करने के लिये स्वतन्त्र रहेंगे, इसके अलावा कोई अन्य गैर कानूनी कार्य नहीं करेगे। किसी अन्य को शिकनी किरायेदार नहीं रखेंगे। यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करेगा तो मय शिकनी किरायेदार सहित प्रथम पक्ष उक्त भूखण्ड को द्वितीय पक्ष से खाली करा लेंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

:: 4 ::

82AD 876008

- यह कि एकल सम्पत्ति अर्थात् भूखण्ड एवं उस पर बने कोई भी निर्माण आदि चाहे वह प्रथम पक्ष ने बनवाया हो अथवा द्वितीय पक्ष ने अपने स्वयं के सोल से निर्मित किया हो, पर प्रथम पक्ष हमेशा सैन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, मेरठ कैंपट शाखा जिसके पक्ष में एकल सम्पत्ति संयक है तथा भविष्य में चाहे कभी भी उसका बैंक अपने क्राण की वसूली हेतु कोई कार्यवाही एकल सम्पत्ति के विरुद्ध करता है तो प्रथम पक्ष एवं/अथवा द्वितीय पक्ष ऐसी किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध कोई भी आपत्ति आदि नहीं करेंगे।
- यह कि द्वितीय पक्ष एकल भूखण्ड पर बिल्डिंग का निर्माण अपनी स्वयं की लागत व खर्च से करेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।
- यह कि एकल भूखण्ड में अपनी आवश्यकतानुसार द्वितीय पक्ष बिजली का कनेक्शन लेंगे, जिसके बिल के अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
- यह कि यदि द्वितीय पक्ष को शैक्षिक बिल्डिंग से सम्बन्धित अनुमति किसी भी विभाग व कार्यालय से लेनी होगी तो वह द्वितीय पक्ष स्वयं लेंगे अगर इससे सम्बन्धित कोई फीस या टैक्स लगता है तो उसको अदा करने की

